FORM NO. III

कर्ज अहकाम

(नियम 26)

उप खण्ड अधिकारी
बडीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

अज अदालत ... मकाम ...

श्री ... बनाम ...

किस्म मुकदमा 128 R.T.A. नं. ... सन् ...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10-4-18	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा नांगा खेड़ी ग्राम विनायका की आ.न. 219, की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजुदगी में की जावे। प्रार्थी से कमीशनरी फिस रूपये 600/- वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें। पत्रावली में हुक्मनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।	

उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बडीसादड़ी
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official